



भारत सरकार  
प्रकाशन विभाग  
शहरी विकास मंत्रालय  
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054  
Website: [www.deptpub.gov.in](http://www.deptpub.gov.in)  
Email: [acop-dep@nic.in](mailto:acop-dep@nic.in) (& [pub.dep@nic.in](mailto:pub.dep@nic.in))  
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

निविदा सूचना सं० 2/सा./ऑनलाईन/क्राफ्ट पेपर/2016-17

दिनांक: 07-09-2016

प्रकाशन विभाग, दिल्ली में शिल्प कागज (क्राफ्ट पेपर) आपूर्ति के लिए ई-निविदा सूचना ।

नियंत्रक प्रकाशन विभाग, भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा की ओर से प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को दोहरी बोली प्रणाली (दू बिड सिस्टम) आधार पर क्राफ्ट पेपर आपूर्ति के लिए मोहर बन्द निविदाएं आमंत्रित करते हैं। क्राफ्ट पेपर के लिए निविदा फार्म सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eprocure.gov.in> से डाउनलोड कर उपलब्ध किया जा सकेगा तथा पूर्ण निविदा दस्तावेज समुचित रूप से भरे हुए, हस्ताक्षरित तथा मोहर लगे हुए उपर्युक्त दर्शाए गए वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। निविदा दस्तावेजों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं।

क्र.सं.	क्राफ्ट पेपर का विवरण	मांग	अनुमानित मूल्य (रूपये में)	जमा की जाने वाली बिड प्रतिभूति का मूल्य	डाउनलोड दस्तावेजों की प्रारम्भिक तिथि	डाउनलोड दस्तावेजों की अन्तिम तिथि	बिड प्रस्तुति की प्रारम्भिक तिथि	बिड प्रस्तुति की अन्तिम तिथि	बिड खोलने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	120 जीएसएम का 29"x44" का आकार ग्रेड-1 बीआईएस के विनिर्देशन सं० आईएस 1397-1990	150 रिम (प्रत्येक रिम में 500 शीट)	3,00,000/-	7500/-	07-09-2016 अपराह्न 06:00 बजे	28-09-2016 अपराह्न 01:00 बजे	07-09-2016 अपराह्न 06:00 बजे	28-09-2016 अपराह्न 01:00 बजे	29-09-2016 अपराह्न 02:00 बजे

कृपया निविदा जमा करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

1. निविदा फार्म उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए के अनुसार तथा उपर्युक्त क्रम संख्या के अनुसार 100/- रूपए भुगतान कर “डाक्यूमेंट डाउनलोड इन डेट” (दस्तावेजों को डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि तक) <http://eprocure.gov.in> वेबसाइट सी पी पी पोर्टल से डाउनलोड करने पर उपलब्ध होगा ।
2. निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा नियंत्रक प्रकाशन, प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 के नाम पर देय ऑफ लाइन (डाक/मैसेंजर) द्वारा भेजा जाए तथा इसे प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 की तकनीकी बोली खुलने से 24 घण्टे पहले तक पहुँच जाना चाहिए तथा निविदा शुल्क की स्केन की गई प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जाए जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी रूप से तकनीकी बोली में निरर्ह (अयोग्य) होंगे ।
3. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता से अनुरोध है कि तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली में दर्शाए गई (खाली स्थानों) सभी रिक्तियों को भरें तथा सी पी पी पोर्टल <http://eprocure.gov.in> पर अपलोड करने से पहले तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली दोनों पर हस्ताक्षर करें । निविदाकर्ताओं द्वारा रिक्तियों को भरने के बाद निविदाकर्ता समुचित रूप से हस्ताक्षर और स्टैम्प लगाकर निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करें । जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित होंगे । 1.) अनुलग्नक-‘क’ 2) अनुलग्नक ‘ख’ 3) जाँच सूची को ऑफ लाइन/ऑनलाइन (तकनीकी बोली खुलने से पहले भेजी जाए) ।
4. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता को तकनीकी बोली में सुपुर्दगी शर्तों के रूप में क्राफ्ट पेपर का अपना मूल्य, बिक्रीकर (वैट), केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, उपकर इत्यादि के बारे में कुछ भी उद्धृत नहीं करना चाहिए । अन्यथा निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे ।
5. “तकनीकी बोली के लिए निविदा” को मूल्य बोली की निविदा को छोड़कर सफलतापूर्वक अपलोड करना है । जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे । किसी भी स्थिति में दोहरे अपलोडेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
6. निर्धारित बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को संगत कॉलमों में भरकर अलग से अपलोड करें । तकनीकी बोली में सफल लोगों की बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को बाद में खोला जाएगा । बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को खोलने की तिथि को ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा ।

7. बोली प्रतिभूति (सिक्योरिटी) को माल के अनुमानित मूल्य के 2.5% की दर से ऑफ लाइन (डाक/मेसेंजर द्वारा) तकनीकी बोली खोले जाने के 24 घन्टे पहले भेजा जाना है । मूल्य प्रतिभूति एकाऊन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदों, बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार्य रूप में नियंत्रक, प्रकाशन दिल्ली के नाम से स्वीकार्य होंगी । मूल्य प्रतिभूति की स्केन प्रति को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना है , जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे । नकद या चैक “तकनीकी बोली के लिए निविदा” के साथ बोली प्रतिभूति के रूप में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा ।
8. क्राफ्ट पेपर की जी. एस. एम. 120 जी. एस. एम से कम नहीं होगी और पेपर की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो के यथा अद्यतन संशोधित विनिर्देशन संख्या आई एस 1397-1990 के अनुसार ग्रेड-1 होगी ।
9. निविदा प्रस्तुत करने की मर्दों के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन एस आई सी लि०) द्वारा पंजीकृत फर्म/बोलीकर्ता (निविदाकर्ता) द्वारा एन एस आई सी लिमिटेड के पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति उचित रूप से स्वप्रमाणित कर ऑफ लाइन द्वारा भेजी जाए तथा उसकी एक प्रति (i) बोली प्रतिभूति का भुगतान करने तथा (ii) निविदा शुल्क का भुगतान करने तथा एन.एस.आई.सी. पंजीयन की स्केन प्रति से छूट प्राप्त करने के लिए तकनीकी बोली खोले जाने के 24 घन्टे पहले प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को भेजी जाए । फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करनी संबंधी मर्दों के लिए प्रमाणपत्र तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाए जिसके न किए जाने पर फर्म/बोलीकर्ता को (i) बोली प्रतिभूति (ii) निविदा शुल्क देने संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी ।
10. बिक्रीकर, अनापति प्रमाण पत्र की स्केन की गई प्रति (वेट/सीएसटी) को “तकनीकी बोली के लिए निविदा” के साथ अपलोडिड कर तथा एस टी सी सी की स्वप्रमाणित फोटोप्रति तकनीकी बोली के खोले जाने के 24 घन्टे पहले प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को पहुँच जानी चाहिए । जिसके न पहुँचने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता “तकनीकी बोली के लिए निविदा” में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे ।
11. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता से अपेक्षा है कि वे फर्म के लेटरहेड पर इस आशय की घोषणा हस्ताक्षरित और मोहर लगाकर प्रस्तुत करें कि फर्म काली सूची (ब्लेक लिस्ट)/बेन की हुई/सरकारी निविदाओं में भाग के लिए डिबाई नहीं की गई है ।
12. नियंत्रक प्रकाशन को बिना किसी कारण बताए, कुछ भी प्रतिपूर्ति कर किसी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने तथा सबसे कम बोलीकर्ता की संविदा को अवार्ड न करने का अधिकार सुरक्षित है । इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्य होगा ।

13. सफल निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं जिन्हें संविदा दी गई है उन्हें कुल संविदा मूल्य की 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति को नियंत्रक प्रकाशन के नाम से स्वीकार्य तरीके से एकाऊन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदों, बैंकर्स चैक या किसी कॉमर्शियल बैंक से बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य होगी। निष्पादन प्रतिभूति की वैधता अवधि संविदा समाप्त होने के 60 दिन से कम नहीं होगी। जिसे आपूर्ति आदेश देने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
14. एन एस आई सी लिमिटेड द्वारा पंजीकृत सफल निविदाकर्ता/बोलीकर्ता को नियंत्रक प्रकाशन दिल्ली के नाम स्वीकार्य एकाऊन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट, फिक्स डिपोजिट रसीदें, बैंकर्स चैक या किसी कॉमर्शियल बैंक से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति (प्रफोर्मेन्स सिक्योरिटी) को अवश्य भेजना चाहिए।
15. “निविदा आमंत्रण तथा निविदाकारों के लिए निदेश”, से संबंधित नीचे दिए गए अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए। जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता “तकनीकी बोली के लिए निविदा” में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे।
16. अनुलग्नक ‘क’, अनुलग्नक ‘ख’ की स्केन की गई प्रतियां तथा सभी संगत दस्तावेज समुचित रूप से भरे हुए और हस्ताक्षरित तकनीकी बोली के साथ अपलोड किए जाए। जिसके न करने पर निविदाकार तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे।
17. किसी भी भारत सरकार के विभाग द्वारा व्यापार के लिए बेन की हुई फर्मों को निविदा में भाग लेने के लिए रोका (बाहर किया) है। इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ स्व-सांख्यिकित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
18. क्राफ्ट पेपर की रिमों की आपूर्ति प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को की जानी है।
19. आपूर्ति किए गए क्राफ्ट पेपर के भुगतान से पहले कम से कम 20 सेम्पल शीट आपूर्ति किए गए क्राफ्ट पेपर के लाट से लिए जाएंगे ताकि उन्हें किसी सरकारी मान्यताप्राप्त टेस्टिंग ऑर्गनाइजेशन को बी.आई.एस. स्पेसिफिकेशन सं० आई.एस. 1397-1990 से संबंधित मूल्यांकन हेतु भेजा जाए। परीक्षण के लिए नमूना भेजने से पहले उसे दोनों पार्टियों के प्राधिकृत सिग्नेटरी जैसे आपूर्तिकर्ता तथा प्रकाशन विभाग के सरकारी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने होंगे।
20. इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण अधीक्षक, सामान्य अनुभाग, कमरा नं० 9, प्रथम तल, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 से या टेलीफोन संख्या 011-23815106 पर सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है।
21. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता सी. पी. पी. पोर्टल <http://eprocure.gov.in> को किसी अनुशेष/भूल-सुधार/विस्तार/परिवर्तन के लिए तकनीकी बोली निविदा को खोलने तक नियमित रूप से अवश्य देखते रहना चाहिए।

22. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है वे सी.पी.पी. पोर्टल में अपलोड की गई बी. ओ. क्यूं (मूल्य बोली) के अनुसार केवल निशुल्क सुपुर्दगी (एफ.डी.) दरों को उद्धृत करें । मूल कीमत तथा करों/एफ.डी./उपकरणों इत्यादि बी.ओ.क्यूं (मूल्य बोली) को संगत कॉलमों में उद्धृत किया जाना है ।
23. ऑफर की वैधता 90 दिन के लिए बनाए रखने के लिए आयकर प्रमाण पत्र/वेट पंजीयन प्रमाण पत्र उचित रूप से स्व-सांक्ष्यकित होना चाहिए ।
24. बैंक ब्यौरा (स्व-सांक्ष्यकित) आई एफ एस सी कोड सहित को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाए ।
25. निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं को संविदा देने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर क्राफ्ट पेपर की आपूर्ति करनी होगी ।
26. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि संचार सुविधा के लिए वे अपना ई-मेल पता, मोबाईल/फोन नम्बर सहित भेजें ।
27. निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं का ऑफर तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि लिए वैध होगा ।
28. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का लगाया गए एन्ट्री टेक्स बोलीकर्ताओं/निविदाकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा ।
29. अनुरोध है कि सी पी पी पोर्टल पर अपलोड किया गए बी ओ क्यूं (मूल्य बोली) फोरमेट को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए तथा बी ओ क्यूं (मूल्य बोली) को सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए ।
30. वित्तीय बोली (बी ओ क्यूं) में क्राफ्ट पेपर का मूल्य दर प्रति रिम उद्धृत किया जाना चाहिए अन्यथा वित्तीय बोली को रद्द समझा जाएगा।
31. विवाद के किसी भी मामले का समझौता दिल्ली के न्यायालय में होगा ।

(जी० डी० पाण्डेय)  
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
कृते नियंत्रक प्रकाशन  
कृते भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा की ओर से

(फर्म के पत्र शीर्ष/लैटर हेड पर छापा जाए)  
(सभी संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां अवश्य अपलोड की जाए)

1	फर्म का नाम	
2	दूरभाष सं०, फैक्स, ई-मेल और मोबाईल सं० सहित फर्म का पता	
3	पैन कार्ड संख्या	
4	सेल्स टैक्स पंजीकरण संख्या	
5	वेट संख्या	
6	ट्रेड लाईसेन्स संख्या	
7	टिन संख्या	
8	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
9	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नमूना हस्ताक्षर	
10	प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता के मोबाईल/दूरभाष सं० तथा फर्म की अन्य दूरभाष संख्या	
11	जोड़े गए/अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियों की सूची	
12	क्राफ्ट कागज का जीएसएम तथा रिम का वजन	
13	एक रिम में शीट/पृष्ठों की सं०	
14	निविदा फार्म शुल्क का विवरण	
15	बोली प्रतिभूति का विवरण	

(फर्म के स्वामी के मोहर सहित हस्ताक्षर)

(निविदाकर्ता द्वारा खाली स्थानों के पूरी तरह भरने, हस्ताक्षरित करने तथा मोहरबद्ध करने के पश्चात् अपलोड करने के लिए)

निविदा सं०.....  
 निविदाकर्ता का पता.....  
 दूरभाष सं०.....  
 फैक्स सं०.....  
 ई-मेल.....  
 वेबसाइट.....

द्वारा,

.....  
 .....  
 .....  
 .....

भारत के राष्ट्रपति  
 (नियंत्रक प्रकाशन के द्वारा)

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा नियंत्रक प्रकाशन, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली (जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से काम कर रहे हैं) को आपूर्ति करने का जैसा कि निविदा के लिए मूल्य बोली में अपलोड किया गया है या “निविदा की स्वीकृति” में निर्दिष्ट ऐसे हिस्से में मूल्य/मूल्यों “मूल्य बोली की निविदा” कहा गया है तथा तकनीकी बोली खोलने के 90 दिन के भीतर यह धारण करने के लिए सहमत हैं ।

मैंने/हमने “निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश” पढ़ तथा समझ लिए हैं तथा अनुबंध की सामान्य शर्तें अपलोड कर ली हैं और “ तकनीकी बोली के लिए निविदा” के साथ दिए गए विनिर्देशों को अच्छी तरह से जांच लिया है तथा मैं/हम इस कार्य के लिए आवश्यक प्रकृति से पूरी तरह अवगत हैं तथा निविदा दस्तावेज में निहित नियम वे शर्तों का पालन करने को सहमत हैं । मेरा/हमारा प्रस्ताव नोटिस आमंत्रण सूचना के अनुसार क्राफ्ट पेपर की विनिर्दिष्ट आपूर्ति है ।

भवदीय,

निविदाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय पता

.....  
 .....

.....  
 कार्यालय मोहर तथा  
 दिनांक सहित निविदाकर्ता  
 के हस्ताक्षर

.....  
 हस्ताक्षरकर्ता का नाम बड़े अक्षरों में

निविदा फार्म  
(बड़े अक्षरों में भरा जाए)

(सभी संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां अवश्य अपलोड की जाए)

1.	फर्म का नाम	
2.	दूरभाष, फैक्स तथा मोबाईल संख्या सहित फर्म का पता	
3.	निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं के ई-मेल पते	
4.	पैन कार्ड संख्या	
5.	निविदा फार्म शुल्क का विवरण	
6.	बोली प्रतिभूति का विवरण	
7.	सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण संख्या	
8.	वेट संख्या	
9.	ट्रेड लाईसेन्स संख्या	
10.	टिन संख्या	
11.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	
12.	सक्षम प्राधिकारी के नमूना हस्ताक्षर	
13.	सक्षम प्राधिकारी की मोबाईल/दूरभाष संख्या तथा फर्म के अन्य दूरभाष संख्या	

(फर्म की मोहर के साथ स्वामी के हस्ताक्षर)



क्राफ्ट कागज की निविदा के लिए चेक-लिस्ट  
तकनीकी बोलियों के लिए निविदा के साथ जोड़ा जाए  
सी पी पी पोर्टल <http://eprocure.gov.in> पर अपलोड करने के लिए  
निविदा वर्ष - 2016-2017

पते सहित बोलीदाता का नाम.....  
मद का नाम.....

कृपया प्रत्येक के सामने इंगित करें कि क्या जमा किया गया/प्रस्तुत किया गया या नहीं

1.	ऑफ लाइन उपर्युक्त निविदा शुल्क जमा की गई है या नहीं	हाँ/नहीं
2.	तकनीकी बोली के साथ निविदा शुल्क की स्कैन प्रति अपलोड की गई है	हाँ/नहीं
3.(क)	ऑफ लाइन अपेक्षित बोली प्रतिभूति जमा कर दी गई है।	हाँ/नहीं
(ख)	बोली प्रतिभूति की स्कैन प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की गई है।	हाँ/नहीं
4.	बड़े स्तर के एककों से मूल्य में प्राथमिकता पाने तथा i) बोली प्रतिभूति ii) निविदा शुल्क में भुगतान से छूट के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग (एन एस आई सी) के पंजीकरण प्रमाण की विधिमान्य स्कैन प्रति को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।	हाँ/नहीं
5.	क्या बोलीदाताओं के लिए दिए गए अनुदेश, निविदा प्रपत्र की सामान्य शर्तें तथा नियम पूरी तरह पढ़ लिए तथा समझ लिए गए हैं और उनके पालन से संबंधित पत्र (जो कि क्या संलग्नक क तथा संलग्नक ख की पूर्णतया भरी, हस्ताक्षरित तथा मोहरबद्ध स्कैन कॉपी/प्रति) के विषय में घोषण पत्र दे दिया गया है।	हाँ/नहीं
6.	ठेका देने की तिथि से 15 दिन के भीतर क्राफ्ट कागज की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं	हाँ/नहीं
7.	क्या सरकारी निविदा पूछताछ में भाग लेने के लिए काली सूची में/प्रतिबंधित वर्जित हैं।	हाँ/नहीं
8.	क्या तकनीकी बोली के साथ सैल्स टैक्स क्लियरेन्स प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड की गई है।	हाँ/नहीं
9.	क्या सैल्स टैक्स/वैट पंजीकरण संख्या उल्लिखित की गई है।	हाँ/नहीं
10.	क्या केन्द्रीय सैल्स टैक्स/केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी पंजीकरण संख्या उल्लिखित की गई है।	हाँ/नहीं
11.	क्या प्रस्ताव/दर सूची की वैधता तिथि उल्लिखित की गई है।	हाँ/नहीं
12.	क्या जमा किए गए स्कैन दस्तावेजों की प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मोहरबद्ध है।	हाँ/नहीं
13.	क्या बैंक का पूरा नाम पिन कोड सहित डाक पता, दूरभाष संख्या तथा बोलीदाता की बैंक खाता संख्या जमा कराई गई है।	हाँ/नहीं
14.	आपूर्ति किए गए क्राफ्ट कागज की सरकारी मान्यताप्राप्त जाँच संस्था से जांच करवाने को सहमत हैं।	हाँ/नहीं
15.	क्या आपूर्ति किए गए/किए जाने वाले क्राफ्ट कागज की गुणवत्ता ग्रेड-1 बी आई एस स्पेसिफिकेशन संख्या आई एस 1397-1990 के अनुसार तथा शीट/पृष्ठ का आकार 29"x44" 120 जी एस एम है।	हाँ/नहीं

प्राधिकृत निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:.....

दिनांक:.....

## सामान्य निबंधन और शर्तें:

1. निविदा फार्म उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए के अनुसार तथा उपर्युक्त क्रम संख्या के अनुसार 100/- रूपए भुगतान कर “डाक्यूमेंट डाउनलोड इन डेट” (दस्तावेजों को डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि तक) <http://eprocure.gov.in> वेबसाइट सी पी पी पोर्टल से डाउनलोड करने पर उपलब्ध होगा ।
2. निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा नियंत्रक प्रकाशन, प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 के नाम पर देय ऑफ लाइन (डाक/मैसेंजर) द्वारा भेजा जाए तथा इसे प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 की तकनीकी बोली खुलने से 24 घन्टे पहले तक पहुँच जाना चाहिए तथा निविदा शुल्क की स्केन की गई प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जाए जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी रूप से तकनीकी बोली में निरह (अयोग्य) होंगे ।
3. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता से अनुरोध है कि तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली में दर्शाए गई (खाली स्थानों) सभी रिक्तियों को भरें तथा सी पी पी पोर्टल <http://eprocure.gov.in> पर अपलोड करने से पहले तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली दोनों पर हस्ताक्षर करें । निविदाकर्ताओं द्वारा रिक्तियों को भरने के बाद निविदाकर्ता समुचित रूप से हस्ताक्षर और स्टैम्प लगाकर निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करें । जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित होंगे । 1.) अनुलग्नक- ‘क’ 2) अनुलग्नक ‘ख’ 3) जाँच सूची को ऑफ लाइन/ऑनलाइन (तकनीकी बोली खुलने से पहले भेजी जाए) ।
4. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता को तकनीकी बोली में सुपुर्दगी शर्तों के रूप में क्राफ्ट पेपर का अपना मूल्य, बिक्रीकर (वेट), केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, उपकर इत्यादि के बारे में कुछ भी उद्धत नहीं करना चाहिए । अन्यथा निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे ।
5. “तकनीकी बोली के लिए निविदा” को मूल्य बोली की निविदा को छोड़कर सफलतापूर्वक अपलोड करना है । जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे । किसी भी स्थिति में दोहरे अपलोडेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
6. निर्धारित बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को संगत कॉलमों में भरकर अलग से अपलोड करें । तकनीकी बोली में सफल लोगों की बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को बाद में खोला जाएगा । बी ओ क्यू (मूल्य बोली) को खोलने की तिथि को ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा ।

7. बोली प्रतिभूति (सिक्वोरिटी) को माल के अनुमानित मूल्य के 2.5% की दर से ऑफ लाइन (डाक/मेसेंजर द्वारा) तकनीकी बोली खोले जाने के 24 घन्टे पहले भेजा जाना है। मूल्य प्रतिभूति एकाऊन्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदों, बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार्य रूप में नियंत्रक, प्रकाशन दिल्ली के नाम से स्वीकार्य होंगी। मूल्य प्रतिभूति की स्केन प्रति को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना है, जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे। नकद या चैक "तकनीकी बोली के लिए निविदा" के साथ बोली प्रतिभूति के रूप में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
8. क्राफ्ट पेपर की जी. एस. एम. 120 जी. एस. एम से कम नहीं होगी और पेपर की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो के यथा अद्यतन संशोधित विनिर्देशन संख्या आई एस 1397-1990 के अनुसार ग्रेड-1 होगी।
9. निविदा प्रस्तुत करने की मर्दों के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन एस आई सी लि०) द्वारा पंजीकृत फर्म/बोलीकर्ता (निविदाकर्ता) द्वारा एन एस आई सी लिमिटेड के पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति उचित रूप से स्वप्रमाणित कर ऑफ लाइन द्वारा भेजी जाए तथा उसकी एक प्रति (i) बोली प्रतिभूति का भुगतान करने तथा (ii) निविदा शुल्क का भुगतान करने तथा एन.एस.आई.सी. पंजीयन की स्कैन प्रति से छूट प्राप्त करने के लिए तकनीकी बोली खोले जाने के 24 घन्टे पहले प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को भेजी जाए। फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करनी संबंधी मर्दों के लिए प्रमाणपत्र तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाए जिसके न किए जाने पर फर्म/बोलीकर्ता को (i) बोली प्रतिभूति (ii) निविदा शुल्क देने संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
10. बिक्रीकर, अनापति प्रमाण पत्र की स्केन की गई प्रति (वेट/सीएसटी) को "तकनीकी बोली के लिए निविदा" के साथ अपलोड कर तथा एस टी सी सी की स्वप्रमाणित फोटोप्रति तकनीकी बोली के खोले जाने के 24 घन्टे पहले प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को पहुँच जानी चाहिए। जिसके न पहुँचने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता "तकनीकी बोली के लिए निविदा" में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे।
11. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता से अपेक्षा है कि वे फर्म के लेटरहेड पर इस आशय की घोषणा हस्ताक्षरित और मोहर लगाकर प्रस्तुत करें कि फर्म काली सूची (ब्लेक लिस्ट)/बेन की हुई/सरकारी निविदाओं में भाग के लिए डिबाई नहीं की गई है।
12. नियंत्रक प्रकाशन को बिना किसी कारण बताए, कुछ भी प्रतिपूर्ति कर किसी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने तथा सबसे कम बोलीकर्ता की संविदा को अवार्ड न करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्य होगा।

13. सफल निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं जिन्हें संविदा दी गई है उन्हें कुल संविदा मूल्य की 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति को नियंत्रक प्रकाशन के नाम से स्वीकार्य तरीके से एकाऊन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदों, बैंकर्स चेक या किसी कॉमर्शियल बैंक से बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य होगी। निष्पादन प्रतिभूति की वैधता अवधि संविदा समाप्त होने के 60 दिन से कम नहीं होगी। जिसे आपूर्ति आदेश देने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
14. एन एस आई सी लिमिटेड द्वारा पंजीकृत सफल निविदाकर्ता/बोलीकर्ता को नियंत्रक प्रकाशन दिल्ली के नाम स्वीकार्य एकाऊन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट, फिक्स डिपोजिट रसीदें, बैंकर्स चेक या किसी कॉमर्शियल बैंक से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति (प्रफोर्मेन्स सिक्योरिटी) को अवश्य भेजना चाहिए।
15. “निविदा आमंत्रण तथा निविदाकारों के लिए निदेश”, से संबंधित नीचे दिए गए अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए। जिसके न करने पर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता “तकनीकी बोली के लिए निविदा” में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे।
16. अनुलग्नक ‘क’, अनुलग्नक ‘ख’ की स्केन की गई प्रतियां तथा सभी संगत दस्तावेज समुचित रूप से भरे हुए और हस्ताक्षरित तकनीकी बोली के साथ अपलोड किए जाए। जिसके न करने पर निविदाकार तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से अयोग्य होंगे।
17. किसी भी भारत सरकार के विभाग द्वारा व्यापार के लिए बेन की हुई फर्मों को निविदा में भाग लेने के लिए रोका (बाहर किया) है। इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ स्व-सांख्याकित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
18. क्राफ्ट पेपर की रिमों की आपूर्ति प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को की जानी है।
19. आपूर्ति किए गए क्राफ्ट पेपर के भुगतान से पहले कम से कम 20 सेम्पल शीट आपूर्ति किए गए क्राफ्ट पेपर के लाट से लिए जाएंगे ताकि उन्हें किसी सरकारी मान्यताप्राप्त टेस्टिंग ऑर्गनाइजेशन को बी.आई.एस. स्पेसिफिकेशन सं० आई.एस. 1397-1990 से संबंधित मूल्यांकन हेतु भेजा जाए। परीक्षण के लिए नमूना भेजने से पहले उसे दोनों पार्टियों के प्राधिकृत सिग्नेटरी जैसे आपूर्तिकर्ता तथा प्रकाशन विभाग के सरकारी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने होंगे।
20. इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण अधीक्षक, सामान्य अनुभाग, कमरा नं० 9, प्रथम तल, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 से या टेलीफोन संख्या 011-23815106 पर सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है।

21. निविदाकर्ता/बोलीकर्ता सी. पी. पी. पोर्टल <http://eprocure.gov.in> को किसी अनुशेष/भूल-सुधार/विस्तार/परिवर्तन के लिए तकनीकी बोली निविदा को खोलने तक नियमित रूप से अवश्य देखते रहना चाहिए ।
22. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है वे सी.पी.पी. पोर्टल में अपलोड की गई बी. ओ. क्यूं (मूल्य बोली) के अनुसार केवल निशुल्क सुपुर्दगी (एफ.डी.) दरों को उद्धृत करें । मूल कीमत तथा करों/एफ.डी./उपकरणों इत्यादि बी.ओ.क्यूं (मूल्य बोली) को संगत कॉलमों में उद्धृत किया जाना है ।
23. ऑफर की वैधता 90 दिन के लिए बनाए रखने के लिए आयकर प्रमाण पत्र/वेत पंजीयन प्रमाण पत्र उचित रूप से स्व-साक्ष्यांकित होना चाहिए ।
24. बैंक ब्यौरा (स्व-साक्ष्यांकित) आई एफ एस सी कोड सहित को तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाए ।
25. निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं को संविदा देने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर क्राफ्ट पेपर की आपूर्ति करनी होगी ।
26. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि संचार सुविधा के लिए वे अपना ई-मेल पता, मोबाईल/फोन नम्बर सहित भेजें ।
27. निविदाकर्ताओं/बोलीकर्ताओं का ऑफर तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि लिए वैध होगा ।
28. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का लगाया गए एन्ट्री टेक्स बोलीकर्ताओं/निविदाकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा ।
29. अनुरोध है कि सी पी पी पोर्टल पर अपलोड किया गए बी ओ क्यूं (मूल्य बोली) फोरमेट को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए तथा बी ओ क्यूं (मूल्य बोली) को सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए ।
30. वित्तीय बोली (बी ओ क्यूं) में क्राफ्ट पेपर का मूल्य दर प्रति रिम उद्धृत किया जाना चाहिए अन्यथा वित्तीय बोली को रद्द समझा जाएगा।
31. विवाद के किसी भी मामले का समझौता दिल्ली के न्यायालय में होगा ।

(जी० डी० पाण्डेय)  
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)  
कृते नियंत्रक प्रकाशन  
कृते भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा की ओर से